Fourteenth Loksabha

Session : 8
Date : 25-08-2006

Participants : Singh Dr. Raghuvansh Prasad

an>

Title : The Minister of Rural Development made a statement regarding status of implementation of the National Rural Employmnet Guarantee Act.

ग्रामीण विकास मंत्री (डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह) : अध्यक्ष महोदय, राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 02 फरवरी, 2006 को शुरू किया गया था। मैंने इस सम्माननीय सदन को अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में 03 मार्च और 23 मई, 2006 को अवगत कराया था। 6 माह की इस छोटी सी अवधि में, इस बात के बावजूद कि इस नए कानून के कार्यन्वयन में राज्यों को आरम्भ में बाधाएं आईं, कार्यान्वयन में हुई प्रगति बहुत प्रोत्साहक रही है। मैं अधिनियम के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिद के लिए 25 मई, 2006 को नियम अधिसूचित किए गए हैं और उसकी एक प्रति 28 जुलाई, 2006 को सदन के पटल पर रख दी गयी थी।

राज्य रोजगार गारंटी परिदों के गठन के लिए राज्य भी कार्रवाई कर रहे हैं और आठ राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश) में राज्य रोजगार गारंटी परिदों की स्थापना कर दी गयी है।

केन्द्र सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त र्वा में 11,300 करोड़ रूपये के बजट की व्यवस्था की है।

केन्द्र सरकार ने एनआरईजी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 2005-06 में 2367.56 करोड़ रूपये की राशि रिलीज की थी। चालू र्वा में 4401.57 करोड़ रूपये रिलीज किए गए हैं। प्रत्येक जिला काम की मांग की रिपोर्ट भेजने और लीज किए गए संसाधनों का उपयोग कर लेने के बाद निधियों की और किस्तों के लिए आवेदन करने का पात्र है। मंत्रालय, जब कभी भी ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं, निधियां रिलीज कर रहा है। र्वा 2006-07 में राज्यवार रिलीज की गयी निधियों और प्रमुख संकेतकों के संबंध में कार्य-निपादन का ब्यौरा अनुबंध में दया गया है।

22 अगस्त, 2006 तक की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 2,54,73,820 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। जिन परिवारों के पास जॉब कार्ड हैं, वे अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार रोजगार की मांग कर

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT. 4902/2006.

सकते हैं। रोजगार की मांग के 15 दिन के भीतर रोजगार देना होता है। उपर्युक्त जॉब कार्ड धारकों में से 89,43,703 धारकों ने रोजगार की मांग की थी और 83,05,930 धारकों को रोजगार दिया गया है। इनमें से लगभग 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग, 46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग और 41 प्रतिशत महिलाएं हैं।

2,60,332 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 1,41,085 कार्य जल संरक्षण से संबंधित हैं, 16,727 कार्य बागान और सूखा रोधन के लिए, 3,391 बाढ़ नियंत्रण के लिए, 43,859 ग्रामीण संड़क संपर्क के लिए और शेा अन्य कार्य हैं। इस प्रकार

कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण पर प्रमुख ध्यान दिया जाना जारी रखा जा रहा है।

केन्द्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे अधिनयम के कार्यन्वयन में सतत् निगरानी और कड़ी सतर्कता का सुनिश्चय करें। राज्यों को कहा गया है कि वे राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के निरीक्षण की समय सारणी निर्धारित करें। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को कम से कम क्रमशः 2 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 100 प्रतिशत निरीक्षण करने चाहिए। मंत्रालय भी कार्यन्वयन में सुधार लाने और कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए राज्यों को किए जाने वाले कार्यों की सलाह देने के लिए अपने अधिकारी नियुक्त करता है। क्षेत्र अधिकारियों ने राज्यों के 35 दौरे किए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी के लिए 90 एनआरईजीए जिलों का दौरा करने के लिए 90 राट्रीय निगरानीकर्त्ता तैनात किए थे। कार्यान्वयन में सुधार लोने के लिए क्षेत्र अधिकारियों और राट्रीय निगरानीकर्त्ताओं की रिपोर्टों पर राज्य सरकारों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

राज्यों को राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर अधिकारियों और विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने को कहा गया है। राज्यों को राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और राज्यों द्वारा निर्धारित अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए 83 लाख रूपये की राशि दी गयी है। राज्यों को प्रशिक्षण के लिए निधियों की और आवश्यकता बताने के लिए कहा गया है। एनआईआरडी, हैदराबाद द्वारा 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' देने के दो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

राज्यों को अपनी-अपनी ग्राम सभाओं के माध्यम से एनआरईजी अधिनियम की सामाजिक लेखा-परीक्षा करने और ऐसी सामाजिक लेखा-परीक्षा करने के लिए एक समय-सूची निर्धारित करने के लिए कहा गया है।